

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

-:: आदेश ::-

क्रमांक :- सामान्य/2021/ 04

दिनांक :- 10/2/2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सामान्य/2021/01 दिनांक 07.01.2021 के द्वारा हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र में स्थित दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के लिये वर्ष 2021 के लिये शपथ आयुक्त नियुक्त किए गए थे। सम्बन्धित मुख्यालयों के अध्यक्ष बारसंघ ने निम्नलिखित अधिवक्तागण को उनके मुख्यालय पर अतिरिक्त शपथ आयुक्त नियुक्त किये जाने की सिफारिश की है, उक्त अनुशंसा के क्रम में निम्नांकित अधिवक्तागण को निम्नानुसार वर्ष 2021 हेतु अतिरिक्त शपथ आयुक्त नियुक्त किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम अभिभाषक	एससी/एसटी/ओबीसी	वकालत शुरू करने का वर्ष व एनरोलमेंट नंबर	जन्म तिथि	गतवर्ष शपथ आयुक्त नियुक्त हुए		क्या किसी पूर्व वर्ष में नियम 74 (3) सामान्य दीवानी 1986 की पालना नहीं करने का दोषी पाया गया
					दीवानो	फौजदारी	
1	2	3	4	5	6	7	8
हनुमानगढ़ मुख्यालय							
01	श्री अरुण कण्डा	-	92/20	-	-	-	-
02	श्री पवित सिंह खोसा	-	2727/20	-	-	-	-
03	श्री रामपाल	-	2055/19	-	-	-	-
04	श्री विजयपाल बिश्नोई	-	1092/19	-	-	-	-
05	श्री पारस सुथार	-	2411/16	-	-	-	-
06	श्री श्योक्त अली	-	1174/16	-	-	-	-
संगरिया मुख्यालय							
01	श्री अमित कुमार	-	3982/18	-	-	-	-
02	श्री प्रवीण कुमार	-	3479/18	-	-	-	-
03	श्री राधेश्याम	-	3325/17	-	-	-	-
04	श्री लक्ष्मणदास मित्तल	PH	510/97	-	-	-	-
05	श्री हरमीत बलजोत	SC	390/15	-	-	-	-
06	परमजीत कौर	Female	1352/14	-	-	-	-
भादरा मुख्यालय							
01	श्री संजय कुमार	-	1896/20	-	-	-	-
02	मनीषा गर्ग	-	1436/19	-	-	-	-
03	श्री श्रवण कुमार	-	2755/19	-	-	-	-

अतः नियम 74 सामान्य नियम (दीवानी) 1986 एवं नियम 257 सामान्य नियम (फौजदारी) 1980 तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र संख्या 47/पी.आई. दिनांक 10.11.1970 के अन्तर्गत हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र में स्थित दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के लिए उपरोक्त अधिवक्तागण को वर्ष 2020 के लिये अतिरिक्त शपथ आयुक्त नियुक्त किया जाता है।

शपथ आयुक्त नियम 74 के अनुसार एक रजिस्टर/रजिस्ट्रों का पोषण करेंगे व अपने खर्च पर पदीय मोहर (ऑफिशियल सील) बनवायेगे तत्पश्चात ही अपना कार्य शुरू करेंगे। इस नियम एवं अन्य सम्बन्धित नियमों की पालना न करने पर नाम सूची से हटा दिया जावेगा।

शपथ आयुक्त संशोधित राजस्थान सामान्य नियम (दीवानी) (संशोधित) नियम 2008 के नियम 74(2) एवं राजस्थान सामान्य नियम (फौजदारी) (संशोधित) नियम 2008 के नियम 258 के अनुसार शपथ आयुक्त निम्नानुसार शुल्क वसूल करेंगे:-

- (अ) दीवानी मामलों में :- 10 रुपये प्रति शपथ पत्र
 (ब) फौजदारी मामलों में :- 10 रुपये प्रति शपथ पत्र

राजस्थान शासन के आदेश संख्या एफ.3(4)न्याय/77 दिनांक 06.11.1977 के अनुसार उक्त शपथ आयुक्त न्यायिकेतर (नॉन ज्यूडिशियल) कार्यालय में प्रयुक्त किये जाने व शपथ पत्रों के प्रयोजनार्थ शपथ दिलाने व प्रतिज्ञान कराने हेतु सशक्त होंगे।


-sd
 (सूर्य प्रकाश काकड़ा)
 जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 हनुमानगढ़

क्रमांक :- स्था./2021/ 738-59

दिनांक :- 10.2.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, हनुमानगढ़
3. विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.प्रकरण) हनुमानगढ़
4. न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) प्रकरण, हनुमानगढ़
5. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, हनुमानगढ़
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं.1 हनुमानगढ़/सं.2 हनुमानगढ़/संगरिया/भादरा
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
8. अति.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़/संगरिया/भादरा
9. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़/~~संगरिया~~/भादरा
10. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
11. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़
12. रीडर ग्रेड-1, जिला न्यायालय, हनुमानगढ़
13. अध्यक्ष, बारसंघ हनुमानगढ़/संगरिया/भादरा को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सम्बन्धित अभिभाषक को सूचित करें।
14. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, हनुमानगढ़/संगरिया/भादरा


10.02.21
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़